न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 54/2022

तारीख रजू :– 13.04.2022

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/

उनवान

मुरारी पुत्र मोतीलाल जाति बलाई निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

––सायलान–10

बनाम

मनोहरी पुत्र नथुआ जाति बलाई निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

––गैरसायलान–03

दिनांक	फर्द अहकाम	
13.04.2022	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। गैर सायलान सायल के कब्जे काश्त मे कोई मजाहमत मदाखलत नही करे, कोई निर्माण नही करे। बेदखल नहीं करने हेतु, एवं भूमि की किस्म नही बदलने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2615, 3072 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 13.05.2021 को पेश हों। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
13/5/22	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा [illegible] स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 30.6.22 को पेश हो।	
30/6/22	पत्रावली पेश हुई। सायलान वकील उप0 सायलान वकील ने अवगत कराया कि सायलान प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। सायलान प्रकरण [illegible] निस्तारित करवाना चाहते हैं। अत: मु0 नं0 54/22 T.I मुरारी बनाम मनोहरी [illegible] निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]	Not press [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)